चार वर्षीय एकीकृत अध्यापक शिक्षा कार्यक्रम उद्‌भव से अब तक

जितेन्द्र कुमार पाटीदार*

'राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020' में अध्यापक शिक्षा में गुणवत्ता एवं अध्यापकों से गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने की अपेक्षा तथा उनकी भूमिका एवं महत्व पर राष्ट्रव्यापी चिंतन कर वर्ष 2030 तक चार वर्षीय एकीकृत बी. एड. कार्यक्रम विद्यालयी अध्यापकों के लिए न्यूनतम योग्यता बनाने का उल्लेख किया गया है। इस नीति में इक्कीसवीं सदी की आवश्यकताओं पर आधारित देश भर में दक्ष एवं कुशल पेशेवर अध्यापक तैयार करने के लिए अध्यापक शिक्षा के रूप में उच्चतर माध्यमिक (+2) के बाद सेवा-पूर्व अध्यापक शिक्षा कार्यक्रम के रूप में चार वर्षीय एकीकृत अध्यापक शिक्षा कार्यक्रम को लागू करने की सिफ़ारिश की गई है। इस कार्यक्रम में तीन वर्ष का डिग्री कोर्स तथा एक वर्ष का पेशेवर कोर्स क्रमिक रूप से एकीकृत किया गया है। अत: यह कार्यक्रम पूर्णत: पेशेवर कार्यक्रम है, जो विद्यालयी शिक्षा के प्रारंभिक एवं माध्यमिक स्तर के अध्यापकों को तैयार करने में सक्षम होगा। इस प्रकार, यह लेख हमारे देश में स्वतंत्रता के बाद चार वर्षीय एकीकृत अध्यापक शिक्षा कार्यक्रम (विशेष कर माध्यमिक शिक्षा के लिए) के उद्‌भव तथा उसकी गुणवत्ता, विश्वसनीयता एवं सफलता को उजागर करता है। जो 'राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020' के अनुसार अपेक्षित अध्यापकों की तैयारी की अपेक्षाओं को पूरा करने में अध्यापक शिक्षा के पणधारकों को मार्गदर्शन प्रदान करने में सहायक होगा।

© NCERT not to be republished

प्रस्तावना

हम सब जानते हैं कि 1947 में आज़ादी के बाद देश के सामने अनेक चुनौतियाँ थीं, जिसमें मुख्य रूप से देश की सीमाओं की सुरक्षा के साथ-साथ विरासत में मिली कमज़ोर अर्थव्यवस्था को मज़बूत करना शामिल था। इसके अलावा देश में भूखमरी, गरीबी, अशिक्षा, बीमारी, बेरोज़गारी, स्वास्थ्य सुविधाओं का अभाव, यातायात के साधनों की लचर स्थिति, बदहाल आधारभूत संरचना, जलवायु पर आधारित कृषि, लोगों द्वारा जीवनयापन हेतु परंपरागत कौशलों पर आधारित सीमित संसाधनों में काम करना जैसी अनेक चुनौतियाँ थीं। इन चुनौतियों से निपटने के लिए तत्कालीन सरकार ने 1950 में योजना आयोग की स्थापना की, ताकि देश को योजनाबद्ध तरीके से विकास की पटरी पर लाया जा सके। इस हेतु लक्ष्य आधारित पंचवर्षीय योजनाएँ बनाकर सरकार द्वारा

**असिस्टेंट प्रोफ़ेसर*, अध्यापक शिक्षा विभाग, राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद्, नयी दिल्ली 110016

उन योजनाओं को अलग-अलग क्षेत्रों में विभाजित कर सुचारु रूप से क्रियान्वित किया जाने लगा, जिसमें शिक्षा तेज़ी से आर्थिक विकास और तकनीकी प्रगति प्राप्त करने का एक सबसे महत्वपूर्ण कारक है।

शिक्षा मूल्यों की स्वतंत्रता, सामाजिक न्याय और समान अवसर पर आधारित सामाजिक व्यवस्था बनाती है। पिछले दशक के विकास ने आर्थिक विकास को गति तो प्रदान की फिर भी, शिक्षा के क्षेत्र में अनेक कमियाँ थीं। यदि निरंतर प्रगति और स्थायी विकास करना है तो इन कमियों को तेज़ी से दूर करना होगा। इसलिए तीसरी पंचवर्षीय योजना (1961–66) का एक प्रमुख लक्ष्य था— शैक्षिक प्रयासों का तेज़ी से विस्तार करना और हर घर तक शिक्षा की पहुँच बनाना, ताकि अब से राष्ट्रीय जीवन की सभी शाखाओं में शिक्षा नियोजित विकास का केंद्र बिंदु बने।

इस प्रकार नियोजित विकास में माध्यमिक शिक्षा को देश की प्रगति का आधार माना गया। लेकिन माध्यमिक शिक्षा प्रणाली का एकपक्षीय चरित्र होना इसका मुख्य दोष था। इस कारण, सभी विद्यार्थियों में उनकी अलग-अलग व्यक्तिगत अभिवृत्ति और क्षमता होने बावजूद भी उन्हें केवल एक ही प्रकार का अकादमिक पाठ्यक्रम प्रदान किया जा रहा था। इस दोष को दूर करने के लिए माध्यमिक शिक्षा आयोग (1952–53) ने बहुउद्देशीय विद्यालयों की स्थापना की सिफ़ारिश की। इसमें शैक्षणिक शाखाओं (स्ट्रीम) के साथ-साथ कई तरह के व्यावहारिक (प्रायोगिक) पाठ्यक्रम पेश करने का सुझाव दिया। ताकि इन विद्यालयों में विद्यार्थियों के लिए विभिन्न प्रकार के पाठ्यक्रम प्रस्तुत किए जा सकें तथा वे अपनी रुचि, अभिवृत्ति एवं दक्षता के अनुसार उपयुक्त पाठ्यक्रम का चुनाव कर सकें। पहली दो पंचवर्षीय योजनाओं के दौरान 2115 बहुउद्देशीय विद्यालय स्थापित किए गए थे। ये विद्यालय मानविकी और विज्ञान के अलावा तकनीकी, कृषि, वाणिज्य, गृह विज्ञान और ललित कला में एक या अधिक व्यावहारिक पाठ्यक्रम प्रदान करते थे।

इस बहुउद्देशीय विद्यालय की अवधारणा को देश ने आसानी से स्वीकार कर लिया और इस योजना का तेज़ी से विस्तार हुआ। लेकिन इसमें कुछ कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, जिनमें मुख्य रूप से व्यावहारिक विषयों को पढ़ाने के लिए प्रशिक्षित अध्यापकों की कमी, अपर्याप्त शिक्षण सामग्री, विशेष रूप से पाठ्यपुस्तकें और हैंडबुक; वैकल्पिक पाठ्यक्रमों की सीमित संख्या तथा शैक्षिक और व्यावसायिक मार्गदर्शन सुविधाओं की अपर्याप्तता थी। इस प्रकार, तीसरी पंचवर्षीय योजना में, पहले से स्थापित विद्यालयों को मज़बूत करके योजना के समेकन पर ध्यान केंद्रित किया गया तथा इस कार्यक्रम का विस्तार लगभग 331 नए विद्यालय स्थापित करने तक सीमित किया गया।

यह बहुउद्देशीय विद्यालय अपने परिवेश की पृष्ठभूमि तथा उपलब्ध संसाधनों व वहाँ के लोगों के कौशलों पर आधारित व्यावसायिक शिक्षा प्रदान करते थे। यह विद्यालय विद्यार्थियों को सामान्य शिक्षा के साथ-साथ रोज़गारपरक कौशल आधारित शिक्षा देते थे। इस शिक्षा में परंपरागत सांस्कृतिक पृष्ठभूमि पर आधारित काम को सम्मान देते हुए उसका संरक्षण करना तथा बढ़ावा देना शामिल था। इसका उद्देश्य व्यक्ति को उसके परिवेश में उपयुक्त कौशल पर आधारित रोज़गार से जोड़कर तथा आर्थिक

© NCERT not to be republished

गतिविधियों से जोड़कर गुणवत्तापूर्ण जीवनयापन प्रदान करना था। ताकि विद्यार्थी सामान्य शिक्षा के साथ कौशल आधारित व्यावसायिक शिक्षा प्राप्त कर देश की आर्थिक प्रगति में योगदान प्रदान कर सकें।

उत्पत्ति— एकीकृत अध्यापक शिक्षा कार्यक्रम

तीसरी पंचवर्षीय योजना में इन बहुउद्देशीय विद्यालयों के लिए एक एकीकृत अध्यापक प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू करने तथा इस कार्यक्रम के लिए चार क्षेत्रीय प्रशिक्षण महाविद्यालय स्थापित करना प्रस्तावित किया गया। इन महाविद्यालयों में व्यावहारिक (प्रायोगिक) और वैज्ञानिक दोनों विषयों में सेवा-पूर्व और सेवाकालीन प्रशिक्षण कार्यक्रम संचालित कर बहुउद्देशीय विद्यालयों के लिए अध्यापक तैयार किए जाएँगे। इन बहुउद्देशीय विद्यालयों में अधिक से अधिक प्रायोगिक कार्य को प्रोत्साहित किया जाएगा तथा माध्यमिक शिक्षा की विभिन्न स्तरों की क्षमता के अनुकूल अध्ययन हेतु पाठ्यक्रम प्रदान किए जाएँगे, जिसमें प्रतिभाशाली विद्यार्थियों के लिए शिक्षा के विशेष कार्यक्रम भी शामिल होंगे।

क्षेत्रीय प्रशिक्षण महाविद्यालय स्थापित करने के प्रस्ताव को साकार रूप देने के लिए भारत सरकार ने 1961 में चार वर्षीय एकीकृत अध्यापक शिक्षा कार्यक्रम की परिकल्पना करते हुए देश में बहुउद्देशीय विद्यालयों (जिसे बहुउद्देशीय प्रदर्शन विद्यालय भी कहते हैं) के साथ चार क्षेत्रीय प्रशिक्षण महाविद्यालय स्थापित करने का निर्णय लिया। इस निर्णय के अनुसार यह ज़िम्मेदारी राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद् (रा.शै.अ.प्र.प.) को सौंपी गई। शिक्षा मंत्रालय के सहयोग से देश को चार क्षेत्रों (रीजन) में वर्गीकृत कर अजमेर, भोपाल, भुवनेश्वर तथा मैसूर में क्षेत्रीय प्रशिक्षण महाविद्यालय स्थापित किए गए।

उपरोक्त वर्णन के आधार पर, इन महाविद्यालयों की स्थापना का मुख्य उद्देश्य चार वर्षीय एकीकृत अध्यापक शिक्षा कार्यक्रम के माध्यम से योग्य एवं क्षमतावान अध्यापक तैयार कर माध्यमिक शिक्षा में गुणवत्तापरक वृद्धि करना था। इन चार क्षेत्रीय प्रशिक्षण महाविद्यालयों में चार वर्षीय एकीकृत अध्यापक शिक्षा कार्यक्रम प्रारंभ करने से पूर्व इस कार्यक्रम पर राष्ट्रीय स्तर पर विचार-विमर्श किया गया। इसमें केंद्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड (सी.ए.बी.ई.), अखिल भारतीय प्रशिक्षण कॉलेज एसोसिएशन (ए.आई.ए.टी.सी.), योजना आयोग तथा शिक्षा मंत्रालय आदि शामिल थे। इन सभी संस्थानों एवं संगठनों ने एकमत होकर देश में चार वर्षीय एकीकृत अध्यापक शिक्षा कार्यक्रम प्रारंभ करने की अनुशंसा की। इस चार वर्षीय एकीकृत अध्यापक शिक्षा कार्यक्रम बी. ए. बी. एड. की शुरुआत सर्वप्रथम 1960 में कुरूक्षेत्र विश्वविद्यालय के शिक्षा विभाग द्वारा प्रयोग के तौर पर की गई।

चार वर्षीय एकीकृत अध्यापक शिक्षा कार्यक्रम की विशेषताएँ

यह कार्यक्रम अन्य परांपरागत कोर्सों से भिन्न है। इस कार्यक्रम में तीन वर्ष का डिग्री कोर्स तथा एक वर्ष का पेशेवर कोर्स क्रमिक रूप से एकीकृत किया गया है। इस प्रकार यह कार्यक्रम पूर्णत: पेशेवर कार्यक्रम है, जो माध्यमिक विद्यालय के विज्ञान एवं तकनीकी विषय के अध्यापकों को तैयार करने में सक्षम होगा। इन कार्यक्रमों के अलावा क्षेत्रीय महाविद्यालयों में अन्य अकादमिक कार्यक्रम भी चलाए गए, जिनमें—

© NCERT not to be republished

- विज्ञान के अध्यापक तैयार करने हेतु चार वर्षीय एकीकृत कार्यक्रम;
- तकनीकी के अध्यापक तैयार करने हेतु चार वर्षीय एकीकृत कार्यक्रम;
- पाँच विषयों में एकवर्षीय अध्यापक शिक्षा कार्यक्रम, जैसे— (i) कृषि; (ii) वाणिज्य; (iii) ललित कला (केवल भोपाल एवं भुवनेश्वर में); (iv) गृह विज्ञान (केवल अजमेर एवं मैसूर में); (v) विज्ञान, तथा (vi) तकनीकी।
- सेवाकालीन अध्यापक शिक्षा कार्यक्रम; और
- हस्तकला (क्राफ़्ट) के अध्यापकों के लिए एकवर्षीय एवं दो वर्षीय डिप्लोमा कार्यक्रम तथा दो वर्षीय डिग्री कार्यक्रम।

इस चार वर्षीय एकीकृत अध्यापक शिक्षा कार्यकम में सामान्य शिक्षा, पेशेवर शिक्षा एवं विषय-वस्तु (विद्यालयी विषयों की) को क्रमबद्ध रूप से एकीकृत किया गया था। इस कार्यक्रम हेतु कुल उपलब्ध समय का 60 प्रतिशत विषय-वस्तु, 20 प्रतिशत पेशेवर शिक्षा तथा 20 प्रतिशत सामान्य शिक्षा को दिया गया। इसके अलावा सिद्धांत एवं प्रयोग को अलग-अलग न बताकर एक ही सतत प्रकिया बताया गया। इस चार वर्षीय एकीकृत अध्यापक शिक्षा कार्यक्रम की उक्त विशेषताओं के अतिरिक्त कुछ और अवधारणाएँ दी गई हैं, जो इस प्रकार हैं—

- अध्यापकों की पेशेवर क्षमता को एकीकृत एवं अधिगम अनुभवों के व्यवस्थित कार्यक्रम से प्राप्त किया जा सकता है।
- अध्यापकों को अध्यापक शिक्षा के द्वारा सामान्य शिक्षा की पृष्ठभूमि के साथ-साथ विषय-वस्तु में भी पारंगत बनाना ताकि उनमें पेशेवर रूप से तैयार होने व विषय-वस्तु में अंतर्संबंध विकसित करने की अंतर्दृष्टि विकसित हो सके।
- भावी अध्यापक को अपनी स्वयं की शिक्षा को बढ़ावा देने अर्थात् स्वयं को अद्यतन रखने के लिए ज़िम्मेदार बनाना।
- माध्यमिक विद्यालय के अध्यापकों का किशोर शिक्षार्थियों के साथ काम करना भी उनकी पेशेवर तैयारी का एक अहम हिस्सा होगा।

इन्हीं अवधारणाओं के साथ सामान्य शिक्षा, विषय-वस्तु की विशेषज्ञता एवं पेशेवर शिक्षा में स्पष्ट एवं सामंजस्यपूर्ण एकीकरण के साथ एकीकृत अध्यापक शिक्षा कार्यक्रम की पाठ्यचर्या द्वारा विद्यार्थी-अध्यापकों में क्षमताएँ विकसित करने के निम्न उद्देश्य रखे गए थे—

- उदार भाव से सीखने की शिक्षा देना ताकि वे एक व्यक्ति या नागरिक के रूप में सहयोग दे सकें।
- लोकतांत्रिक समाज की माँग के अनुरूप मूल अभिवृत्ति हो।
- विद्यालय एवं समाज में अपने विषय एवं शिक्षण पेशे को क्षमतापूर्वक प्रस्तुत कर सकें।
- अपने विषय में सिद्धांतों एवं प्रयोगों का व्यापक ज्ञान व समझ हो तथा उन्हें एकीकृत रूप से पढ़ाने का आवश्यक ज्ञान व कौशल प्राप्त हो।
- प्रभावी शिक्षण-अधिगम विधियाँ खोजने एवं उनका प्रयोग करने के योग्य बनाना।
- दृश्य-श्रव्य सामग्री सहित अनुदेशन सामग्री विकसित करने एवं उनका प्रयोग करने के योग्य बनाना।
- पढ़ाने के लिए विषय-वस्तु का चयन एवं संगठित करने के योग्य बनाना।

© NCERT not to be republished

- विद्यार्थियों की प्रगति एवं स्वयं के शिक्षण की प्रभावशीलता का मूल्यांकन करने के लिए विविध मूल्यांकन विधियों का प्रयोग करने के योग्य बनाना।
- मूल्यांकन हेतु उपयुक्त उपकरणों का चयन एवं उपयोग करने के योग्य बनाना।
- विद्यालय में प्रभावी रूप से निर्देशन कार्यक्रम संचालित करने के योग्य बनाना।
- पाठ्य-सहगामी गतिविधियों का संगठन, उनका पर्यवेक्षण एवं उनमें सहभागिता करने की क्षमता विकसित करना।
- वास्तविक कक्षा में पढ़ाने के लिए एक प्रभावी अध्यापक के रूप में कार्य करने की क्षमता विकसित करना।
- पेशेवर संगठनों, सामुदायिक गतिविधियों, शोध एवं प्रशासनिक गतिविधियों में सहभागिता कर निरंतर पेशेवर विकास करने के लिए जोड़ना।

इन्हीं क्षमता आधारित उद्देश्यों को निर्धारित कर सेवा-पूर्व चार वर्षीय एकीकृत अध्यापक शिक्षा कार्यक्रमों को क्रियान्वित किया जाने लगा तथा अपेक्षा की गई कि इन सेवा-पूर्व अध्यापक शिक्षा कार्यक्रमों को सफलतापूर्वक पूर्ण करने के पश्चात् भावी अध्यापक, देश भर में संचालित लगभग 2115 बहुउद्देशीय विद्यालयों एवं अन्य सामान्य विद्यालयों में अपनी पूर्ण क्षमता एवं कौशलों के साथ गुणवत्तापरक माध्यमिक शिक्षा देने में सक्षम होंगे।

अध्यापक शिक्षा कार्यक्रमों की समीक्षा

शिक्षा मंत्रालय एवं रा.शै.अ.प्र.प. द्वारा समय-समय पर इन चार वर्षीय एकीकृत अध्यापक शिक्षा कार्यक्रमों की समीक्षा हेतु अलग-अलग समीक्षा समितियाँ गठित की गई थीं। जिनमें 1968 में नाग चौधरी समिति, 1974 में कपूर समिति एवं 1980 में दास समिति प्रमुख थी। इसके अतिरिक्त देश भर में अन्य अध्यापक प्रशिक्षण संस्थानों एवं महाविद्यालयों में संचालित परंपरागत अध्यापक शिक्षा कार्यक्रमों में सुधार लाना अनेक शिक्षा समितियों एवं आयोगों का प्रमुख विषय रहा है।

इसी कड़ी में, शिक्षा आयोग (1964–66) ने देश में चल रही पिछले तीन दशकों की अध्यापक शिक्षा पर चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि विद्यालयी शिक्षा में गुणवत्ता वृद्धि करने के लिए अध्यापकों की पेशेवर तैयारी पर ज़ोर देना होगा। क्योंकि यह देश की कमज़ोर शिक्षा व्यवस्था में सुधार लाने का एक प्रमुख घटक है। साथ ही, आयोग ने यह भी कहा कि अध्यापक शिक्षा को एक तरफ तो विश्वविद्यालय के शैक्षणिक जीवन की मुख्यधारा में लाना होगा तथा दूसरी तरफ शैक्षिक विकास एवं विद्यालयी जीवन से जोड़ना होगा। अध्यापक शिक्षा कार्यक्रमों को गुणवत्तापरक बनाने के लिए आयोग ने सिफ़ारिश करते हुए कहा कि विश्वविद्यालयों में सामान्य एवं पेशेवर शिक्षा के एकीकृत कोर्स चलाए जाएँ। जिससे विद्यार्थियों को चर्चाओं एवं स्व-अध्ययन का अधिकतम अवसर मिलेगा तथा इंटर्नशिप कार्यक्रम व्यापक रूप से हो सकेगा।

शिक्षा आयोग (1964–66) की सिफ़ारिशों को आगे बढ़ाते हुए चट्टोपाध्याय आयोग (1983–85) ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि हमारे अधिकतर शिक्षा महाविद्यालयों एवं प्रशिक्षण संस्थानों की स्थिति दयनीय है। आयोग ने आगे कहा कि यदि भावी अध्यापकों की भूमिका एवं ज़िम्मेदारियों को अधिक प्रासंगिक बनाना हो तो माध्यमिक अध्यापकों की अध्यापक शिक्षा एवं प्रशिक्षण की न्यूनतम अवधि

कक्षा 12 के बाद पाँच वर्ष की होनी चाहिए। जिससे वे सामान्य एवं पेशेवर शिक्षा को समान एवं एकीकृत रूप से प्राप्त करने में सक्षम हो सकें। इसके अलावा आयोग ने सुझाव दिया कि हमें सावधानीपूर्वक एकीकृत चार वर्षीय अध्यापक शिक्षा कार्यक्रमों को विकसित करना चाहिए। साथ ही, जहाँ तक संभव हो वर्तमान में चल रहे कुछ कला एवं विज्ञान महाविद्यालयों में शिक्षा विभाग खोला जाए, जिसमें विद्यार्थियों को अन्य विषयों के साथ-साथ अध्यापक शिक्षा को भी एक विषय के रूप में चयन करने का अवसर दिया जाए। इस आयोग ने माध्यमिक स्तर के साथ-साथ प्रारंभिक स्तर के अध्यापकों की तैयारी के लिए भी चार वर्षीय एकीकृत अध्यापक शिक्षा कार्यक्रमों की सिफ़ारिश की थी।

शिक्षा आयोग (1964–66) एवं चट्टोपाध्याय आयोग (1983–85) की अध्यापक शिक्षा पर व्यक्त की गई चिंताओं को *राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 1986* और इसके कार्यवाही कार्यक्रम (1992) में मुख्य रूप से शामिल किया गया तथा कहा गया कि अध्यापक शिक्षा प्रणाली की पूरी तरह जाँच की जाए। साथ ही, इस कार्य के लिए आवश्यक संसाधनों एवं क्षमता युक्त एक सांविधिक राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् (एन.सी.टी.ई.) की स्थापना की सिफ़ारिश की गई। इस नीति में कहा गया कि अध्यापक शिक्षा एक सतत प्रकिया है, इसे सेवा-पूर्व एवं सेवाकालीन अध्यापक शिक्षा के रूप में अलग नहीं कर सकते। *राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 1986* की समीक्षा हेतु गठित आचार्य राममूर्ति समिति (1990) ने अपनी समीक्षा में कहा कि अध्यापक शिक्षा एवं प्रशिक्षण में इंटर्नशिप का व्यापक मॉडल अपनाया जाए, जो यथार्थवादी परिस्थितियों में क्षेत्र (विद्यालयों एवं समुदाय) के वास्तविक अनुभवों एवं प्राथमिक मूल्यों पर आधारित हो।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 1986 और इसके कार्यवाही कार्यक्रम (1992) की अनुशंसा को अमल में लाते हुए भारत सरकार संसद में राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् अधिनियम लेकर आई। इसे राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् अधिनियम, 1993 कहा गया। इस अधिनियम के आधार पर 17 अगस्त, 1995 में एक सांविधिक निकाय के रूप में राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् अस्तित्व में आई। इस परिषद् के गठन का मूल उद्देश्य समूचे भारत में अध्यापक शिक्षा प्रणाली का नियोजित और समन्वित विकास करना था। इसमें अध्यापक शिक्षा प्रणाली में मानदंडों एवं मानकों का विनियमन करना तथा उन्हें समुचित रूप से बनाए रखना शामिल था।

राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् के गठन के बाद, विद्यालयी शिक्षा में बच्चों पर बढ़ते शैक्षिक बोझ को कम करने के उद्देश्य से शिक्षा मंत्रालय द्वारा गठित यशपाल समिति (1993) ने भी अध्यापक शिक्षा पर चिंता व्यक्त की। इस समिति ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि अध्यापकों को तैयार करने के अपर्याप्त कार्यक्रमों की वजह से विद्यालयों में असंतोषजक ढंग से सीखने की गुणवत्ता प्रभावित हो रही है। इसके साथ ही वतर्मान में चल रहे अध्यापक शिक्षा कार्यक्रमों की विषय-वस्तु की पुनर्संरचना करनी चाहिए, जो विद्यालयी शिक्षा की बदलती ज़रूरतों के अनुसार प्रासंगिक हो। इसके अलावा, इन कार्यक्रमों के माध्यम से भावी अध्यापकों में स्व-अध्ययन एवं स्वतंत्र चिंतन करने की योग्यता अर्जित करने पर ज़ोर दिया जाना चाहिए।

© NCERT not to be republished

विद्यालयी शिक्षा पर बनी *राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005* में भी अध्यापक शिक्षा कार्यक्रमों में क्रांतिकारी बदलाव लाने पर ज़ोर देते हुए कहा गया कि चट्टोपाध्याय आयोग (1983–85) द्वारा सुझाए गए पेशेवर मानकों में ढीलापन लाने की हाल की प्रवृत्ति को रोकने के लिए अध्यापक-प्रशिक्षण में क्रांतिकारी परिवर्तन की ज़रूरत है। सेवा-पूर्व प्रशिक्षण कार्यक्रमों को ज़्यादा लंबी अवधि का तथा अधिक समग्रता लिए हुए होना चाहिए, ताकि बच्चों का ध्यानपूर्वक अवलोकन करने के लिए पर्याप्त अवसर और विद्यालयों में इंटर्नशिप के द्वारा शिक्षणशास्त्रीय सिद्धांतों को व्यवहार में जोड़ने के पूरे मौके मिल सकें। (*राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005,* पृष्ठ संख्या xii)

अध्यापक शिक्षा का व्यापारीकरण

राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् द्वारा अपने मूल उद्देश्यों को बनाए रखने के लिए अध्यापक शिक्षा में बढ़ते व्यापारीकरण को रोकना भी प्रमुख मुद्दा था। इस मुद्दे का परिषद् ने अध्ययन कर पता लगाया कि 80 के दशक में अध्यापक शिक्षा के व्यापारीकरण से अध्यापक शिक्षा के पत्राचार (अंशकालिक एवं अवकाश) कार्यक्रमों तथा पूर्व-प्राथमिक, प्राथमिक और माध्यमिक कार्यक्रमों का संचालन करने के लिए अत्यधिक अध्यापक प्रशिक्षण संस्थाओं का विस्तार हुआ।

अध्यापक शिक्षा के इस व्यापारीकरण में विशेष रूप से, पत्राचार द्वारा बी.एड. पाठ्यक्रम का बहुत गलत इस्तेमाल हुआ। इस समस्या ने 1995 में इतना गंभीर रूप धारण कर लिया कि अध्यापक शिक्षा की पेशेवर आवश्यकताओं की पूरी तरह अवहेलना करते हुए कुछ संस्थाओं एवं विश्वविद्यालयों ने 30,000 से भी अधिक विद्यार्थियों को भर्ती कर लिया। जबकि भारत में 1995 में अध्यापक शिक्षा कार्यक्रमों में पढ़ने वाले लगभग पाँच लाख विद्यार्थियों में से लगभग एक लाख विद्यार्थी बी.एड. प्रशिक्षणार्थी ही थे। इस प्रवृत्ति से अध्यापक शिक्षा की गुणवत्ता के ह्रास पर कई शिक्षाविदों और विभिन्न व्यावसायिक संगठनों एवं निकायों ने सरकार एवं परिषद् को सतर्क भी किया था। लेकिन दुर्भाग्यवश अध्यापक शिक्षा के क्षेत्र में स्थापित मानक एवं मानदंडों का खुला उल्लंघन करती हुई यह प्रवृत्ति अभी भी चल रही है। अध्यापक शिक्षा का व्यापारीकरण केवल पत्राचार द्वारा बी.एड. पाठ्यक्रम तक ही सीमित नहीं रहा, बल्कि यह तो प्रत्यक्ष कक्षा-कक्ष (आमने-सामने) कार्यक्रमों में भी भयंकर रूप से फैल गया। जिसमें सभी प्रकार की अध्यापक शिक्षा संस्थाओं में प्रवेश, आंतरिक मूल्यांकन, व्यावहारिक परीक्षा आदि मामलों में पक्षपात और भ्रष्टाचार व्यापक हो गया। अधिकतर निजी प्रबंधन वाली अध्यापक प्रशिक्षण संस्थाओं ने तो इसे अपने प्रबंधकों के लिए धन इकट्ठा करने की मशीन के रूप में अपनाया। इस प्रकार का व्यापारीकरण अध्यापक शिक्षा के सभी स्तरों पर और अध्यापकों की तैयारी में लगी विभिन्न प्रकार की संस्थाओं में पाया गया, जिस पर नियंत्रण करना अत्यंत आवश्यक है।

इस प्रकार, राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् के 1980 के दशक से अध्यापक शिक्षा के व्यापारीकरण को रोकने के शुरू किए गए प्रयास ज़मीनी स्तर पर प्रभावी नहीं रहे और वर्ष 2012 तक इस व्यापारीकरण एवं भ्रष्टाचार ने विकराल रूप ले लिया। इससे निपटने में परिषद् असफल रही। अध्यापक शिक्षा

© NCERT not to be republished

की गुणवत्ता में हुई गिरावट तथा निराशाजनक स्थिति पर कई शोध अध्ययनों एवं संस्थाओं ने सरकार एवं परिषद् को सतर्क किया गया। इसके साथ ही, परिषद् एवं अध्यापक शिक्षा संस्थानों के बीच मान्यता संबंधी विवाद बढ़े और ये मामले माननीय सर्वोच्च न्यायालय में दर्ज होने लगे।

अध्यापक शिक्षा का नया दृष्टिकोण (विज़न)— न्यायाधीश वर्मा (2012) आयोग की रिपोर्ट

इसी कड़ी में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा अध्यापक शिक्षा की गुणवत्ता सुनिश्चित करने तथा राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् के कार्यों की समीक्षा करने के लिए न्यायाधीश जे. एस. वर्मा (2012) की अध्यक्षता में एक आयोग का गठन किया गया। इस आयोग ने कुछ राज्यों के अध्यापक शिक्षा संस्थानों की स्थिति के आकलन के साथ-साथ विद्यालयी शिक्षा हेतु अपेक्षित अध्यापक शिक्षा एवं वर्तमान में चल रही अध्यापक शिक्षा में बढ़ते अंतर पर गहन अध्ययन किया। इस अध्ययन का मुख्य उद्देश्य राष्ट्र के समक्ष अध्यापक शिक्षा की प्रमुख चुनौतियों को बताना एवं अध्यापक शिक्षा की बेहतरी हेतु सुझाव देना था।

वर्मा आयोग (2012) ने अध्ययन कर अपनी रिपोर्ट में कहा कि भारत में अध्यापक शिक्षा प्रणाली पारंपरिक रूप से इस धारणा पर चल रही है कि कम शैक्षणिक योग्यता प्राप्त विद्यार्थी भी प्रारंभिक स्तर पर पढ़ाने के लिए स्वीकार किया जाता है। इस धारणा का कारण यह है कि पूर्व-प्राथमिक या प्राथमिक अध्यापक प्रशिक्षण की पात्रता उच्चतर माध्यमिक (+2) शिक्षा है, जबकि विज्ञान या कला में स्नातक उपाधि माध्यमिक अध्यापक शिक्षा कार्यक्रम में प्रवेश लेने की न्यूनतम योग्यता है। अब इस बात पर ज़ोर दिया जा रहा है कि विद्यालयी शिक्षा में प्रारंभिक स्तर पर बच्चों को पढ़ाने के लिए अधिक योग्य एवं परिपक्व अध्यापकों की आवश्यकता है (वर्मा आयोग की रिपोर्ट, 2.3.1)।

आयोग ने अध्यापक शिक्षा के लिए राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा, 2009 को मार्गदर्शी दस्तावेज़ के रूप में उपयोग करते हुए बताया कि—

- अध्यापक शिक्षा को पाठ्यचर्या, पाठ्यक्रम और पाठ्यपुस्तकों के साथ अध्यापकों का जुड़ाव करना चाहिए; जो उनकी आलोचनात्मक रूप से जाँच करें न कि बिना किसी प्रश्न के स्वीकार करें।
- अध्यापक शिक्षा के क्षेत्र में अनुभवों के साथ सिद्धांत का जुड़ाव होना चाहिए, ताकि विद्यार्थी-अध्यापक ज्ञान को बाहरी रूप से न देखने के बजाय शिक्षण-अधिगम प्रक्रिया के दौरान सक्रिय रूप से निर्मित होने वाले ज्ञान के रूप में देख सकें।
- अध्यापक शिक्षा में अकेले अध्यापक-निर्देशित गतिविधियों के साथ प्रशिक्षण अनुसूची को पैक किए बिना, मननशील एवं स्वतंत्र अध्ययन के लिए विद्यार्थी-अध्यापकों को अवसर प्रदान करना चाहिए।
- इस कार्यक्रम में अध्यापकों को बच्चों के वास्तविक संदर्भों को शामिल करना चाहिए, न कि बच्चों को केवल सिद्धांतों के माध्यम से पढ़ाएँ। इससे उन्हें विद्यार्थियों की मनो-सामाजिक विशेषताओं और ज़रूरतों, उनकी विशेष क्षमताओं एवं विशेषताओं, उनके

© NCERT not to be republished

अनुभूति के पसंदीदा तरीके, अभिप्रेरणा एवं सीखने के परिणामस्वरूप घर और समुदाय से समाजीकरण को समझने में मदद मिलेगी।

- अध्यापकों में सामाजिक संवेदनशीलता और चेतना विकसित करने तथा स्व-चिंतन की प्रक्रिया एवं बायोग्राफ़िक्स के अध्ययन द्वारा मानवीय संवेदनाओं को बेहतर बनाने में मदद करनी चाहिए।
- अध्यापक शिक्षा कार्यक्रमों द्वारा विद्यालय के बाहर जीवन तथा सामुदायिक ज्ञान के साथ विद्यालयी ज्ञान को जोड़ने के लिए अध्यापकों को शिक्षित करना।
- अध्यापक शिक्षा कार्यक्रमों द्वारा अध्यापकों को एक शिक्षणशास्त्र के रूप में कक्षा के अंदर और कक्षा के बाहर के वास्तविक अनुभवों (हेण्ड्स ऑन एक्सपीरिंयंस) से जोड़ना (वर्मा आयोग की रिपोर्ट, 2.5.7)।

आयोग ने आगे उल्लेख करते हुए बताया कि अध्यापक शिक्षा के लिए राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा, 2009 मौलिक रूप से, अध्यापक शिक्षा को एक नया परिप्रेक्ष्य एवं दृष्टिकोण प्रदान करती है। जिसमें पहली बार प्रारंभिक अध्यापक शिक्षा के लिए मॉडल पाठ्यक्रम प्रस्तुत किया गया है, जो राज्यों को *एन.सी.एफ., 2005,* एन.सी.एफ.टी.ई. 2009 और *आर.टी.ई. एक्ट, 2009* के अनुरूप अध्यापक शिक्षा कार्यक्रमों को संशोधित करने में सहायक होगा। देश में इस मॉडल पाठ्यक्रम के अनुसार प्रशिक्षण (इंटर्नशिप) की अवधि बढ़ाकर सेवा-पूर्व प्रारंभिक अध्यापक शिक्षा को उन्नत करने की तत्काल आवश्यकता है, जिसमें इसे एक एकीकृत उपाधि कार्यक्रम के समकक्ष बनाना तथा विश्वविद्यालयों में प्रारंभिक अध्यापक शिक्षा का प्रबंधन और नियंत्रण स्थापित करना शामिल है। क्योंकि यह आवश्यक नहीं है कि भावी अध्यापकों का उच्चतर माध्यमिक (+2) के बाद प्रवेश, उन्हें प्रारंभिक स्तर पर पढ़ाने के लिए विषयों के बुनियादी ज्ञान से परिपूर्ण करता है। पाठ्यक्रम की छोटी अवधि भावी अध्यापकों को न तो आवश्यक शिक्षणशास्त्र के ज्ञान के योग्य बनाती है और न ही पेशेवर तादात्म्य स्थापित करने के लिए बच्चों की मानसिक-सामाजिक आवश्यकताओं को समझने एवं उन्हें सीखने की सुविधा प्रदान करने के योग्य बनाती है (वर्मा आयोग की रिपोर्ट, 2.5.4)।

इस प्रकार, आयोग ने अध्यापक शिक्षा कार्यक्रमों के नए स्वरूप का खाका प्रस्तुत करते हुए कहा कि अध्यापकों का पेशेवर विकास समकालीन भारतीय समाज के व्यापक सामाजिक-सांस्कृतिक, आर्थिक और राजनीतिक संदर्भों के अनुसार होना चाहिए। इसके लिए भारतीय समाज के समसामयिक मुद्दों के साथ गहन अंतर-अनुशासनात्मक जुड़ाव पर आधारित सेवा-पूर्व कार्यक्रमों की आवश्यकता है। यह अध्यापक शिक्षा के मौजूदा कार्यक्रमों की पुनर्संरचना के साथ पुनः शुरू करने तथा एक निश्चित समय सीमा में उच्चतर माध्यमिक (+2) के बाद चार वर्ष के एकीकृत कार्यक्रमों या स्नातक के बाद दो वर्ष के कार्यक्रमों की ओर बढ़ने से हो सकता है (वर्मा आयोग की रिपोर्ट, 2.11.1)।

आयोग की बेहतर अध्यापक शिक्षा की गुणवत्ता हेतु सेवा-पूर्व एवं सेवाकालीन अध्यापक शिक्षा की पुनर्संरचना करने की सिफ़ारिशों पर अमल करते हुए *राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् विनियम, 2014* के

© NCERT not to be republished

माध्यम से विभिन्न 15 अध्यापक शिक्षा कार्यक्रमों के मानक एवं मानदंडों में कई स्तरों पर बदलाव कर लागू किया गया। यह बदलाव वर्तमान में देश की विद्यालयी शिक्षा में आए मात्रात्मक एवं गुणात्मक सुधार के लिए आवश्यक था। अब हमारी कक्षाएँ पहले से अधिक विविध होती जा रही हैं अर्थात् विद्यार्थियों की विद्यालय तक सुगम पहुँच, रोचक शिक्षण-अधिगम सामग्री, आई.सी.टी. आधारित कक्षाएँ, बहुभाषी कक्षाएँ, लचीली आकलन व्यवस्था, विद्यालय एवं समुदाय की निकटता जैसी अनेक विविधताओं का समावेश हो रहा है। इसलिए अध्यापकों से अपेक्षा की जाती है कि वे भी समावेशी कक्षा का निर्माण कर प्रत्येक विद्यार्थी की अधिगम आवश्यकताओं की पूर्ति करें।

राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् विनियम, 2014

राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् द्वारा अध्यापक शिक्षा कार्यक्रमों एवं अध्यापक शिक्षा संस्थानों को अधिक गुणवत्तापूर्ण बनाने के लिए विनियम, 2014 के अनुसार प्रमुख बदलाव किए गए, जो निम्नलिखित हैं—

- भविष्य में अध्यापक शिक्षा कार्यक्रम केवल संयुक्त (कम्पोज़िट) संस्थानों में ही खोले जाएँगे। इस विनियम में यह कहा गया है कि संयुक्त (कम्पोज़िट) संस्थानों से मतलब ऐसे संस्थानों से है, जहाँ पर पहले से ही विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, मानविकी, वाणिज्य आदि में स्नातक या स्नातकोत्तर कोर्स चल रहे हों, या ऐसे संस्थान जहाँ पर अध्यापक शिक्षा के अलग-अलग कार्यक्रम चल रहे हों।
- चार-वर्षीय बी.ए.-बी.एड. तथा बी.एस.सी.बी.एड. कार्यक्रमों के लिए मानक एवं मानदंड पहली बार बनाए गए। यह कार्यक्रम नवाचारी (इन्नोवेटिव) कार्यक्रमों के अंतर्गत आते हैं और इसे अब अध्यापक शिक्षा की मुख्यधारा में लाना है।
- बी.एड., बी.पी.एड. और एम.एड. कार्यक्रम की अवधि एक वर्ष से बढ़ाकर दो वर्ष कर दी गई, जिसमें विद्यालय आधारित गतिविधियों एवं इंटर्नशिप की अवधि छह माह कर दी गई।
- दूरस्थ शिक्षा के माध्यम से चलाया जाने वाला एम.एड. कार्यक्रम बंद कर दिया गया और दूरस्थ शिक्षा से बी.एड. कार्यक्रम उन्हीं संस्थानों में चलाए जाने की अनुमति दी गई, जो एन.सी.टी.ई. से मान्यता प्राप्त हैं।
- दो नए कार्यक्रमों बी.एड. (पार्ट टाइम) और एकीकृत बी.एड.-एम.एड. कार्यक्रम, जो कि तीन वर्ष की अवधि के होंगे, के लिए मानक एवं मानदंड बनाए गए।

इस विनियम के अनुसार अध्यापक शिक्षा के विभिन्न 15 कार्यक्रमों की प्रमुख विशेषताएँ इस प्रकार हैं—

- तीन नए कार्यक्रम चार साल का बी.ए. तथा बी.एस.सी. बी.एड., तीन साल का बी.एड. (पार्ट टाइम) तथा तीन साल का बी.एड.-एम.एड. कार्यक्रम प्रारंभ करना।
- जहाँ एक वर्ष के बी.एड., बी.पी.एड. और एम.एड. कार्यक्रम चलते थे, उन्हें दो वर्ष का कर दिया गया। क्योंकि दो वर्ष के इस कार्यक्रम से विद्यार्थी-अध्यापक पेशेवर रूप से अधिक अध्ययन करेंगे तथा वह अंतरराष्ट्रीय मानकों के अनुसार तैयार हो सकेंगे।

© NCERT not to be republished

- इस विनियम में जो अध्यापक शिक्षा संस्थान ऐसे हैं जो केवल अध्यापक शिक्षा का एक ही कार्यक्रम चलाते हैं, उन्हें बंद कर उनकी जगह बहु-विषयक (मल्टीडिसीप्लिनरी) या बहु-अध्यापक शिक्षा कार्यक्रम (मल्टी टीचर एजुकेशन प्रोग्राम) चलाने वाले संयुक्त (कम्पोज़िट) संस्थानों को अवसर दिया जाएगा। प्रत्येक कार्यक्रम में सिद्धांत, प्रायोगिक (प्रेक्टिकल) तथा इंटर्नशिप को समान रूप से शामिल किया गया है तथा सभी कार्यक्रमों में लगभग 25 प्रतिशत समय विद्यालय आधारित गतिविधियों और इंटर्नशिप को दिया गया।
- सूचना एवं संचार तकनीकी (आईसीटी) शिक्षा, योग शिक्षा, जेंडर शिक्षा तथा समावेशी शिक्षा को सभी कार्यक्रमों की पाठ्यचर्या में आवश्यक कर दिया गया।
- एकीकृत अध्यापक शिक्षा कार्यक्रमों को बढ़ावा देने पर ज़ोर दिया गया।
- एम.एड. डिग्री के साथ ऐसे अध्यापक-प्रअध्यापक (टीचर एजुकेटर) तैयार करना, जिनकी विशेषज्ञता प्रारंभिक शिक्षा तथा माध्यमिक शिक्षा में हो।
- मुक्त अध्ययन (ओपन एवं मुक्त अध्यापक शिक्षा) के लिए अधिक से अधिक गुणवत्ता निर्धारित करने के उपाय विकसित किए गए।

पुनः चार वर्षीय एकीकृत अध्यापक शिक्षा कार्यक्रम की पहल

क्षेत्रीय महाविद्यालयों में पिछले छह दशकों से चल रहे चार वर्षीय एकीकृत माध्यमिक अध्यापक शिक्षा कार्यक्रमों की प्रभावशीलता का मूल्यांकन कई समितियों एवं शोध अध्ययनों द्वारा किया गया। जिनमें मुख्य रूप से यह पाया गया कि इन कार्यक्रमों से तैयार अध्यापक परंपरागत एकवर्षीय बी. एड. कार्यक्रम से तैयार अध्यापकों की तुलना में बहुत बेहतर थे। इन चार वर्षीय एकीकृत माध्यमिक अध्यापक शिक्षा कार्यक्रमों की प्रभावशीलता की मुख्य विशेषता मेधावी विद्यार्थियों का चयन, कार्यक्रमों की अधिकतम अवधि, एकीकृत पाठ्यचर्या के साथ-साथ विषय-वस्तु को पढ़ना और शिक्षण विधियों को सीखना, व्यापक इंटर्नशिप कार्यक्रम आदि था। इस प्रकार *राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् विनियम, 2014* के माध्यम से देश भर में कला वर्ग तथा विज्ञान वर्ग में चार वर्षीय एकीकृत अध्यापक शिक्षा कार्यक्रम (आई.टी.ई.पी.) 28 नवम्बर, 2014 से लागू किया गया।

इस चार वर्षीय एकीकृत पाठ्यक्रम का लक्ष्य, सामान्य अध्ययन— जिसमें विज्ञान (बी.एस.सी.-बी.एड.) और सामाजिक विज्ञान या मानविकी (बी.ए.-बी.एड.) तथा पेशेवर अध्ययन— जिसमें शिक्षा के आधार, विद्यालयी विषयों का शिक्षणशास्त्र और एक विद्यालय अध्यापक के कार्यों एवं कार्यविधियों से जुड़े व्यवहारों (प्रयोगों) का एकीकरण है। यह कार्यक्रम सिद्धांत और व्यवहार में संतुलन बनाए रखता है तथा कार्यक्रम के घटकों के बीच संगतता एवं जुड़ाव को बनाए रखता है। जो एक माध्यमिक विद्यालय के अध्यापक के विस्तृत ज्ञान आधार को प्रस्तुत करता है। इस कार्यक्रम का लक्ष्य शिक्षा के उच्च प्राथमिक और माध्यमिक स्तरों के लिए अध्यापकों को तैयार करना है। (*एन.सी.टी.ई. विनियम, 2014,* परिशिष्ट 13)।

परिषद् द्वारा विनियम, 2014 को पुनः संशोधित कर विनियम, 2019 के रूप में 29 मार्च, 2019 से

© NCERT not to be republished

लागू किया गया। मूलतः यह संशोधित विनियम पूर्व-प्राथमिक से प्राथमिक तथा उच्च प्राथमिक से माध्यमिक स्तर के अध्यापकों को तैयार करने के लिए कला वर्ग एवं विज्ञान वर्ग में चार वर्षीय एकीकृत अध्यापक शिक्षा कार्यक्रम (आई.टी.ई.पी.) है। जो उच्चतर माध्यमिक (+2) के बाद किया जाता है। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य प्रतिबद्ध, उत्तरदायी और पेशेवर अध्यापकों को तैयार करना है। इस कार्यक्रम में अध्यापक तैयार करने हेतु शिक्षणशास्त्र का अंतरण (बदलाव) निहित है।

इस चार वर्षीय एकीकृत कार्यक्रम की पाठ्यचर्या को अध्यापक शिक्षा के क्षेत्र में विश्व की सर्वोत्तम प्रक्रिया को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है। इसका एक विशिष्ट पाठ्यक्रम है, जिसमें शिक्षणशास्त्र तथा विद्यालय शिक्षण के कार्यों एवं गतिविधियों से संबंधित प्रायोगिकी का आंतरिक एकीकरण है। इसमें ज्ञान के स्वतंत्र विषयों तथा शिक्षा में जुड़ाव की मज़बूत प्रक्रिया सम्मिलित है। इस कार्यक्रम से अध्यापकों को ऊर्ध्व प्रगति पथ पर अग्रसर होने का अवसर भी प्रदान किया गया है।

इस कार्यक्रम में सामान्य अध्ययन एवं विषयों का एकीकरण किया गया है। इसमें गणित एवं विज्ञान, सामाजिक विज्ञान तथा मानविकी को शामिल किया गया है। इसके अलावा व्यावसायिक अध्ययन के विषयों को भी शिक्षा में सम्मिलित किया गया है। साथ ही, शिक्षा के अन्य प्रमुख पाठ्यक्रम, विद्यालयी विषयों की पाठ्यचर्या और शिक्षणशास्त्र संबंधी विषय तथा विद्यालय में अध्यापक के कार्यों व गतिविधियों से संबंधित प्रायोगिकी को भी शामिल किया गया है। इसमें सिद्धांत और अभ्यास में संतुलन बनाया गया है। इस प्रकार, इस कार्यक्रम में विभिन्न घटकों को मिलाकर उनमें एकीकरण सुनिश्चित किया गया है। अतः इस कार्यक्रम से अपेक्षा की जाती है कि एक प्रभावशाली विद्यालय अध्यापक बनने में आने वाली चुनौतियों का सामना करने के लिए अध्यापक में आवश्यक अभिरुचि, कार्य कौशल तथा ज्ञान विकसित किया जाए, ताकि वह एक सफल एवं प्रेरक विद्यालय अध्यापक बन सके (*एन.सी.टी.ई. विनियम, 2019,* 1.1)।

यह एकीकृत अध्यापक शिक्षा कार्यक्रम बहु-विषयी एवं अंतर-विषयी शैक्षिक वातावरण में संचालित किया जाएगा। जिसका तात्पर्य एक विधिवत मान्यता प्राप्त उच्च शिक्षा संस्थान से है, जो स्वतंत्र रूप से अध्ययन के लिए कला अथवा मानविकी या सामाजिक विज्ञान, वाणिज्य अथवा गणित विषयों से संबंधित क्षेत्र में स्नातक अथवा स्नातकोत्तर कार्यक्रमों का संचालन कर रहे हों (1.2) (एन.सी.टी.ई. विनियम, 2019, परिशिष्ट, 16 एवं 17)।

वर्तमान में देश में एन.सी.टी.ई. द्वारा (31 मार्च, 2019 तक) विनियम, 2019 के आधार पर मान्यता प्राप्त 721 अध्यापक शिक्षा संस्थानों में कला वर्ग एवं विज्ञान वर्ग में चार वर्षीय एकीकृत अध्यापक शिक्षा कार्यक्रम चल रहा है। इन 721 संस्थानों के लिए एन.सी.टी.ई. द्वारा 63520 सीटें अनुमोदित की गई हैं। (*एन.सी.टी.ई. की वार्षिक रिपोर्ट— 2018–19*)

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 एवं अध्यापक शिक्षा

इक्कीसवीं सदी की आवश्यकताओं के लिए अध्यापक शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार हेतु विभिन्न

समितियों एवं आयोगों की सिफ़ारिशों तथा *एन.सी.टी.ई. विनियम, 2014* व *2019* के क्रम में *राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020* में बताया गया है कि अगली पीढ़ी को आकार देने वाले अध्यापकों की एक टीम बनाने में अध्यापक शिक्षा की भूमिका महत्वपूर्ण होगी। अध्यापकों को तैयार करना एक ऐसी प्रक्रिया है, जिसके लिए बहु-विषयक दृष्टिकोण और ज्ञान की आवश्यकता है। जिसमें बेहतरीन मेंटरों के निर्देशन में मान्यताओं और मूल्यों के निर्माण के साथ उनके अभ्यास की भी आवश्यकता होती है। इस हेतु यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि अध्यापक, शिक्षा और सीखने की प्रक्रियाओं से संबंधित अद्यतन प्रगति के साथ भारतीय मूल्यों, भाषाओं, ज्ञान, लोकाचार परंपराओं (जनजातीय परंपराओं सहित) के प्रति भी जागरूक रहें (*राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020,* 15.1)।

ऐसे अध्यापक तैयार करने के लिए *राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020* में उच्चतर माध्यमिक (+2) के बाद सेवा-पूर्व अध्यापक शिक्षा कार्यक्रम के रूप में चार वर्षीय एकीकृत अध्यापक शिक्षा कार्यक्रम को लागू करने की सिफ़ारिश की गई है। साथ ही, एकीकृत अध्यापक शिक्षा कार्यक्रम बहु-विषयी एवं अंतर-विषयी शैक्षिक वातावरण में संचालित करने की अनुशंसा की गई है।

इस अनुशंसा को ध्यान में रखते हुए सभी अध्यापक शिक्षा कार्यक्रमों को समग्र बहु-विषयी संस्थानों में ही आयोजित किया जाना चाहिए। इसके लिए सभी बड़े बहु-विषयक विश्वविद्यालयों के साथ-साथ सभी सार्वजनिक विश्वविद्यालय और बड़े बहु-विषयक महाविद्यालय का लक्ष्य होगा कि वे अपने यहाँ ऐसे उत्कृष्ट शिक्षा विभागों की स्थापना और विकास करें जो शिक्षा में नवीन अनुसंधान करने के साथ अन्य विशिष्ट विषयों से संबंधित विभागों, जैसे— मनोविज्ञान, दर्शनशास्त्र, समाजशास्त्र, तंत्रिका विज्ञान, भारतीय भाषाओं, कला, संगीत, इतिहास और साहित्य, विज्ञान और गणित आदि के सहयोग से भावी अध्यापकों को शिक्षित करने के लिए बी.एड. कार्यक्रम भी संचालित करेंगे। इसके साथ ही वर्ष 2030 तक सभी एकल अध्यापक शिक्षा संस्थानों को बहु-विषयक संस्थानों के रूप में बदलने की आवश्यकता होगी, क्योंकि उन्हें भी चार वर्षीय एकीकृत अध्यापक शिक्षा कार्यक्रमों को संचालित करना होगा (*राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020,* 15.4)।

वर्ष 2030 तक बहु-विषयक शिक्षण संस्थानों द्वारा प्रदान किया जाने वाला यह चार वर्षीय एकीकृत बी.एड. कार्यक्रम विद्यालयी अध्यापकों के लिए न्यूनतम डिग्री योग्यता बन जाएगा। यह चार वर्षीय एकीकृत बी.एड. शिक्षा और इसके साथ ही एक अन्य विशेष विषय, जैसे— भाषा, इतिहास, संगीत, गणित, कंप्यूटर, विज्ञान, रसायन विज्ञान, अर्थशास्त्र आदि में एक समग्र दोहरी (ड्यूअल) स्नातक डिग्री होगी। आधुनिक शिक्षणशास्त्र के साथ-साथ अध्यापक शिक्षा में समाजशास्त्र, इतिहास, विज्ञान, मनोविज्ञान, प्रारंभिक बाल्यावस्था शिक्षा, बुनियादी साक्षरता और संख्या ज्ञान, भारत से जुड़े ज्ञान और इसके मूल्यों, लोकाचार, कला एवं परंपराएँ आदि बहुत कुछ शामिल होगा। इन अध्यापक शिक्षा कार्यक्रमों के लिए उत्कृष्ट उम्मीदवारों को आकर्षित करने के उद्देश्य से मेधावी विद्यार्थियों के लिए छात्रवृत्तियों की स्थापना की जाएगी (*राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020,* 15.4)।

© NCERT not to be republished

ग्रामीण क्षेत्र के उत्कृष्ट विद्यार्थियों के लिए कुछ विशेष में रिट आधारित छात्रवृत्ति स्थापित की जाएगी। जिसमें चार वर्षीय बी.एड. डिग्री पूरी करने के बाद स्थानीय क्षेत्रों में निश्चित रोज़गार देना भी शामिल होगा। इस प्रकार की छात्रवृत्ति स्थानीय विद्यार्थियों (विशेषकर छात्राओं) के लिए स्थानीय नौकरियों के अवसर प्रदान करेगी। इस प्रकार ये विद्यार्थी स्थानीय क्षेत्र के प्रेरणा स्रोत (रोल मॉडल) के रूप में और उच्चतर योग्य अध्यापकों के रूप में सेवा प्रदान कर सकेंगे, जो स्थानीय भाषा भी बोलते हों (*राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020,* 5.2)।

उपसंहार

अगली पीढ़ी को आकार देने तथा दक्षता आधारित अध्यापकों को तैयार करने के लिए चार वर्षीय एकीकृत अध्यापक शिक्षा कार्यक्रम को 2030 तक अनिवार्य रूप से वर्तमान अध्यापक शिक्षा की मुख्यधारा में लागू करना सरकारों, नियामक संस्थाओं, विश्वविद्यालयों, अध्यापक शिक्षा संस्थाओं, अध्यापक-प्रशिक्षकों, प्रशासकों एवं समाज की ज़िम्मेदारी होगी। जो अध्यापक शिक्षा में बढ़ते व्यापारीकरण को रोकने के साथ-साथ भावी पीढ़ी को भारतीय मूल्यों पर आधारित गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने में योगदान दे सकेंगे। जिससे विद्यार्थी, यहाँ तक कि प्रत्येक नागरिक अपने मौलिक दायित्वों और संवैधानिक मूल्यों, देश के साथ जुड़ाव और बदलते विश्व में नागरिक की भूमिका एवं उत्तरदायित्वों का कुशलतापूर्वक निर्वहन कर सकेंगे। इस प्रकार हम बहु-विषयक एवं समग्र शिक्षा, अवधारणात्मक समझ पर ज़ोर, रचनात्मकता एवं तार्किक चिंतन, जीवन कौशल, सीखने के लिए सतत मूल्यांकन, तकनीकी का यथासंभव सार्थक उपयोग, विविधता एवं स्थानीय परिवेश को सम्मान, नवाचारों एवं उत्कृष्ट शोधों को बढ़ावा देने आदि पर जन कल्याणकारी मानवीय अध्यापक शिक्षा प्रदान कर देश को इक्कीसवीं सदी के योग्य, कुशल एवं दक्ष अध्यापक प्रदान कर सकेंगे।

© NCERT not to be republished

संदर्भ

नेशनल काउंसिल फ़ॉर टीचर एजुकेशन. 2009. *नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क फ़ॉर टीचर एजुकेशन— टूवर्ड्स प्रीपेरिंग प्रोफ़ेशनल एंड ह्यूमन टीचर्स*. एन.सी.टी.ई., नयी दिल्ली

———. (रिकोग्निशन नोर्म्स एंड प्रोसीजर) *रेग्युलेशन, 2014*. 7 मार्च, 2021 को https://ncte.gov.in/Website/PDF/regulation/regulation2014/hindi/appendix13.pdf से प्राप्त किया गया है.

———. (रिकोग्निशन नोर्म्स एंड प्रोसीजर) *रेग्युलेशन, 2019*. 10 मार्च, 2021 को https://ncte.gov.in/Website/PDF/regulation/ITEP_2019.pdf से प्राप्त किया गया है.

———. 1996. *वार्षिक रिपोर्ट— 1995–96*. 6 मार्च, 2021 को https://ncte.gov.in/Website/PDF/AnnualReport/1995-96.pdf से प्राप्त किया गया है.

———. 2019. *वार्षिक रिपोर्ट— 2018–19*. 7 मार्च, 2021 को https://ncte.gov.in/Website/PDF/AnnualReport/2018-19.pdf से प्राप्त किया गया है. https://niti.gov.in/planningcommission.gov.in/docs/plans/planrel/fiveyr/3rd/3planch29.html से प्राप्त किया गया है.

परिदा, बी. के. 2016. *फ्रोम आर.सी.ई. टु आर.आई.ई. एंड बियोंड— ए जर्नी ऑफ़ हाफ़ ए सेंचुरी*. आर.आई.ई., भुवनेश्वर. 5 जनवरी, 2021 को https://www.riebbs.ac.in>rie.pdf से प्राप्त किया गया है.

मानव संसाधन विकास मत्रालय. 2012. *विज़न ऑफ़ टीचर एजुकेशन इन इंडिया— क्वालिटी एंड रेगुलेटरी पर्सपेक्टिव— रिपोर्ट ऑफ़ द हाई पावर्ड कमीशन ऑन टीचर एजुकेशन कोन्स्टिट्यूटेड बाइ ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ़ इंडिया* (वॉल्यूम-1). डिपार्टमेंट ऑफ़ स्कूल एजुकेशन एंड लिटरेसी एंड नेशनल काउंसिल ऑफ़ टीचर एजुकेशन, नयी दिल्ली.

———. 2020. *राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020*. भारत सरकार, नयी दिल्ली. 6 जनवरी, 2021 को https://www.mhrd.gov.in/sites/upload_files/mhrd/files/NEP_final_HINDI_0.pdf से प्राप्त किया गया है.

राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद्. 2006. *पाठ्यचर्या नवीनीकरण के लिए अध्यापक शिक्षा— राष्ट्रीय फ़ोकस समूह का आधार पत्र*. रा.शै.अ.प्र.प., नयी दिल्ली.

———. 2006. *राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005*. रा.शै.अ.प्र.प., नयी दिल्ली.

सारंगी, दिबाकर. 1992. *ए स्टडी ऑफ़ फ़ोर इयर इंटीग्रेटेड टीचर एजुकेशन प्रोग्राम इन इंडिया*. डिपार्टमेंट ऑफ़ टीचर एजुकेशन-सी.ए.एस.ई. महाराजा सयाजीराव यूनिवर्सिटी ऑफ़ बड़ौदा, बड़ौदा.

शिक्षा मंत्रालय. 1953. *रिपोर्ट ऑफ़ द सेकंडरी एजुकेशन कमीशन*. शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार, नयी दिल्ली.

© NCERT
not to be republished